विशेष अभियान "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता"

आमजनों के लिए आवश्यक सूचना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा), नई दिल्ली एवं मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एम0सी0पी0सी0), भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकान्त, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा), नई दिल्ली और अध्यक्ष, मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एम0सी0पी0सी0), भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में 90 दिनों का एक विशेष अभियान "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता" बिहार राज्य के साथ- साथ पूरे भारत में चलाया जा रहा है । जिसका उद्देश्य बिहार राज्य के सभी अनुमण्डलीय न्यायालयों, जिला न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादन किया जाना है ।जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 से 31 जुलाई, 2025 तक अपने-अपने मामले/वाद को अपने अधिवक्ताओं एवं उचित माध्यमों से चिन्हित करा कर पटना उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र एवं संबंधित जिला मध्यस्थता केन्द्रों में भेजवाया जा सकता है, ताकि वाद का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सके ।

निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत न्यायालयों में लंबित वाद को मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादन किया जाना है :-

1.वैवाहिक विवाद
2.दुर्घटना दावा वाद
3.घरेलू हिंसा के वाद
4.चेक बाउंस के वाद
5.वाणिज्यिक विवाद
6.सेवा मामलों के वाद
7.आपराधिक समझौता योग्य वाद
8.उपभोक्ता विवाद वाद
9.ऋण वसूली के वाद
10.विभाजन के वाद
11.बेदखली/निष्कासन के वाद
12.भूमि अधिग्रहण के वाद
13.अन्य उपयुक्त सिविल के वाद

(मध्यस्थता की न्यायिक प्रक्रिया जहाँ पक्षकारों की सहमति से निर्णय होता है । जिसमें न किसी हार और न किसी जीत होती है । बल्कि दोनों पक्षों की विजय होती है ।)

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

बुद्ध मार्ग, पटना-800001

विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें :-फोन नं0 : 0612-2508943/ 0612-2508441/ 0612-2508366

टॉल ।फ्री नं0-15100 / न्याय समाधान मो0 नं0 : 8709901744